उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 09/2025/ 1549 /छप्पन-2025/56-1002(001)-1-2022
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2026
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2025-26 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"3053-नागर विमानन 01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-04 वायुयानों के मेण्टीनेन्स, रिपेयर तथा ओवरहाल हेतु नीति, 2022					
305301800000427	5000.00	1304.00	1304.00	1002.00	3998.00
योग	5000.00	1304.00	1304.00	1002.00	3998.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030012	6.00	10.00	4.00	2.00	8.00
207000114030042	3185.00	4485.00	1300.00	1000.00	4185.00
योग:-	3191.00	4495.00	1304.00	1002.00	4193.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार हैः- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में एम०आर०ओ० स्थापित करने के लिये किसी कम्पनी का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत संभावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से हैः- (क) 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद-कार्यालय के उपयोगार्थ टोनर कार्टेज, फर्नीचर आदि से संबंधित लम्बित बिलों पर होने वाले व्यय अतिरिक्त व्यय के कारण व्याधिक्य है। (ख)- 42-अन्य व्यय- वायुयानों पर ईंधन का अत्याधिक व्यय, नये क्रय किये जा रहे हेलीकॉप्टर पर ईधन व्यय अपरिहार्य परिस्थितियों में विभाग से इतर वायुयान/ हेलीकाप्टर एवं पायलटों की सेवायें लिये जाने, नये हेलीकाप्टर पर पायलेट प्रशिक्षण एवं निदेशालय में पाइलेट एवं अभियन्ताओं के प्रशिक्षण पर भेजे जाने के दृष्टिगत अत्यधिक व्यय होने के कारण व्याधिक्य है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।	आर.ई. संख्या–-बजट-1-223 /दस-2025-26 दिनांक : 08 जनवरी, 2026
	सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
अभिनव कुमार चौरसिया अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग। उत्तर प्रदेश शासन।	हस्ताक्षर ..... आशुतोष चन्द्र पाण्डेय संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : /1540(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	अभिनव कुमार चौरसिया अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग। उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।